प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 22.07.2022

जमीन बेचने के एवज में पैसे लेने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में व पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में तथा क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में, वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 226/2022 धारा 406,420,506 भादवि0 पंजीकृत है जिसमें आरोपीगण (1) शैलेन्द्र उर्फ शैलेश तिवारी पुत्र दीनानाथ तिवारी ग्राम मुजहना तिवारी थाना अहिरौली जिला कुशीनगर (2) धर्मेन्द्र ओझा पुत्र मुरलीधर ग्राम परतावल थाना अहिरौली जिला कुशीनगर द्वारा वादी मुकदमा से जमीन बेचन के एवज में 64,00,000/-(चौसठ लाख) रूपया ले लिया गया। आरोपीगण द्वारा न तो जमीन दिया जा रहा है और न ही पैसा दिया जा रहा है। वादी मुकदमा जब अपना पैसा मांगने जा रहा है तो आरोपीगण द्वारा वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दिया जा रहा। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत है जिसमे आरोपीगण की गिरफ्तारी हेतु प्र0नि0 खोराबार द्वारा पुलिस टीम गठीत की गयी थी। जिसके क्रम में दिनांक 21.07.2022 को समय करीब 21.30 बजे मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 वीरेन्द्र यादव मय हमराह बुढिया माता मंदिर के मुख्य गेट के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

धर्मेन्द्र ओझा पुत्र स्व0 मुरलीधर ओझा निवासी परतावल पोस्ट जगदीशपुर धर्मदानी थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थानः-

दिनांक 21/7/2022 समय 21.30 बजे , बुढिया माता मन्दिर के पास

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 226/2022 धारा 406,420,506 भादवि0 थाना खोराबार गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 वीरेन्द्र यादव थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. का0 सत्येन्द्र कुमार थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. का0 बलबीर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर